पत्रांक-बि.प्र.सु.मि.सो/विविध-17/2011.815.......

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषित,

सभी आई.टी. प्रबंधक (जिला)
सभी प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक

पटना, दिनांक- 20 अक्टूबर 2014

विषय- **लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के डाटा का बैकअप नियमित रूप से रखने के संबंध में।**

प्रसंगः- **मिशन कार्यालय का पत्रांक 979, दिनांक 05.09.2013**

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय में प्रत्येक दिन विभिन्न जिला से डाटाबेस नष्ट हो जाने की शिकायत प्राप्त होती है तथा इसे मिशन कार्यालय के स्तर से ठीक करने हेतु अनुरोध किया जाता है।

विदित हो कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के डाटा का नियमित रूप से बैकअप रखने से संबंधित निदेश मिशन कार्यालय के प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से पूर्व में दिया गया है (प्रति संलग्न)। प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय तथा जिला स्तर पर डाटाबेस का बैकअप रखे जाने की स्थिति में उक्त समस्या का निदान स्थानीय स्तर पर हीं संभव है। परन्तु जिला आई.टी.प्रबंधक तथा प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक के लापरवाही के कारण डाटाबेस नष्ट हो जाने से संबंधित समस्याओं का निदान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय द्वारा किया जाता है, जिससे मिशन सोसाइटी के संसाधनों का अपव्यय हो रहा है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में निदेशित किया जाता है किः-

(1) लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के डाटा का बैकअप संबंधित कार्यालयों में नियोजित प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक द्वारा अनिवार्य रूप से प्रत्येक दिन के डाटा का बैकअप रखा जाए।

(2) जिला आई.टी. प्रबंधकों द्वारा भी सभी संबंधित कार्यालयों के डाटा का बैकअप जिला स्तर पर संधारित किया जाए।

2

(3) प्रत्येक दिन संध्या 05:30 बजे सभी प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक द्वारा इस आशय की सूचना ई.मेल के माध्यम से जिला आई.टी. प्रबंधक दिया जाए कि उनके द्वारा उक्त तिथि तक का डाटा बैकअप सुरक्षित रख लिया गया है। जिला आई.टी. प्रबंधक द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी मुख्यालय को इस आशय की सूचना ई.मेल के माध्यम से दिया जाए कि उनके द्वारा उक्त तिथि तक का डाटा बैक अप सुरक्षित रख लिया गया है।

उपरोक्त निदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में डाटाबेस नष्ट होने तथा डाटा बैकअप से संबंधित किसी समस्या के कारण संबंधित कार्यालय का कार्यबाधित होने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय के प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक तथा जिला आई.टी. प्रबंधक की होगी तथा तदनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। डाटा बैकअप नहीं रखे जाने की स्थिति में डाटाबेस नष्ट होना सेवा मुक्त किये जाने का आधार बन सकता है।

अत: अधिकार सॉफ्टवेयर के डाटा का बैकअप उक्त निदेश के अनुरूप रखना सुनिश्चित किया जाए।

18.x.14

(आदेश ति0)
अपर मिशन निदेशक

डॉ. बी. राजेन्दर
भा० प्र० से०
अपर मिशन निदेशक

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक- बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध-17/2011 सो0...979...दिनांक...05.09.2013

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

विषय:- लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के डाटा का बैकअप नियमित रूप से रखने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिले के लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबद्ध कार्यालयों में दिनानुदिन आवदेन प्राप्ति की संख्या में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में इस अधिनियम के तहत 05 करोड़ से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुकें है। इस अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों एवं निष्पादित सेवाओं से संबंधित डाटा का नियमित रूप बैकअप लिया जाना आवश्यक ताकि कम्प्यूटर जनित /अप्रत्याशित घटना के कारण डाटा नष्ट होने की स्थिति में इसे पुन: यथावत स्थिति में लाया जा सके।

अत: उक्त के परिप्रेक्ष्य में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के डाटा का नियमित रूप से बैकअप रखने हेतु अधिनियम से संबद्ध सभी कार्यालय के पदाधिकारियों/कर्मियों को निदेशित करते हुए इसका अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

विश्वासभाजन

Rajender 5.9.2013

(डा0 बी0 राजेन्दर)

अपर मिशन निदेशक

कार्यालय:- सिंचाई बैरक नं. -1 हार्डिंग रोड, पटना,-800015 फोन:-0612-2545191, फैक्स-0612-2215908
e-mail : amd.bpsm@gmail.com, web : www.bpsm.bih.nic.in